पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

अग्रेज कौर पत्नी लालसिह जाति तरखान निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम्

1. मनजीतसिह पुत्र लालसिह जाति तरखान निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
2. किरणपाल कौर पुत्री लालसिह पत्नी सरबजीत सिह जाति रामगढ़िया निवासी सिखवाला तहसील लम्बी जिला श्रीमुक्तसर साहिब।
3. भिन्दर कौर पुत्री लालसिह पत्नी भूपिन्द्र सिह जाति रामगढ़िया निवासी सिखवाला तहसील लम्बी जिला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब।
4. अमृतपाल कौर पुत्री लालसिह पत्नी गुरप्रीत सिह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं० 10, चिस्तीयां तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. रणजीत कौर पत्नी गुरबचनसिह जाति तरखान निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री ए0एस0जोईया व प्रतिवादी वकील आर एस भादू अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:– चकनं0 7 एफ. टी. पी. पटवार हल्का कुलचन्द्र के प०न० 213/249 मु0 66 किलानं0 24/0.2530 नहरी, 25/0.2530 है० नहरी, प0न0 213/250 मु0 72 किलानं० 4/1/0.2280 नहरी, 4/2/0.0250 गै०मु० रास्ता, 5/1/0.2280 नहरी, 5/2/0.0250 गै0मु0 रास्ता, 6 प0न0 221/245 मु0 26 किलानं0 17/0.2530 है0 नहरी, 18/0.2530 नहरी कुल 1.7710 है0 मय गै०मु० आराजी की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चकनं0 7 एफ. टी.पी. के खाता सं0 147/129 मे से लालसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 1/4/5/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।